# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

**पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई.ए.एस**

प्रकरण संख्या 49/**2020** अपील (राजस्व)

GCMS No 2020/00060

श्रीमती चन्द्ररी बाई पुत्री स्व. नाना कुम्हार निवासी वास तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज.)
श्री प्रकाश पिता स्व. वरदीचन्द कुम्हार निवासी वास तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज.) जरिये प्राकृतिक संरक्षक भुआ श्रीमती श्रीमती चन्द्ररी बाई पुत्री स्व. नाना कुम्हार निवासी वास तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज.)

**—— अपीलान्ट**

**बनाम**

श्री मांगीलाल पिता चतरभुज कुम्हार निवासी लखावली तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज.)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बड़गांव जिला उदयपुर (राज.)

**—— रेस्पोडेन्टगण**

**अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 बनाराजगी निर्णय तहसीलदार बड़गांव जिला उदयपुर, नामान्तरकरण संख्या 394 दिनांक 31.01.2013**

**उपस्थित :** 1. श्री नरेश चन्द्र जणवा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री गोवर्धन बारबर, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1
3. श्री कल्पित जैन, पेरोकार सरकार

## निर्णय

दिनांकः– 11/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के स्वामित्व आधिपत्य एव कब्जे की पैतृक सम्पति मौझा वास पटवार हलका भूताला तह. बडगांव जिला उदयपुर के हाल आराजी नम्बर 1520 रकबा 0–06–10 बीघा भूमि स्थित है जिसमे अपीलाण्टगण का सयुक्त रूप से 1/2,1/2 वॉ हिस्सा होकर के संयुक्त रूप से काबिज हो कर के उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा उक्त भूमि पर अपीलाण्टगण अपने परिवार के साथ तन्हा स्वामी काबिज हो कास्त कर रहा है और उपयोग उपभोग कर रहा हैं परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने एक फर्जी वसीयत बनाकर के अपीलाण्ट की बडी मम्मी के नाम की एक फर्जी

जिला कलक्टर
उदयपुर

नुमाईशी वसीयत बनाई जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नही थी और उसने उक्त फर्जी वसीयत से भूमि का नामान्तरण राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम दर्ज करवाया दिया जबकि उक्त भूमि अपीलाण्ट की पैतृक भूमि होकर के अपीलाण्ट को भाई बटवाडा में प्राप्त हुई है और उसी हैसीयत से उक्त भूमि पर अपीलाण्ट तनहा स्वामी काबिज होकर के उपयोग उपभोग कर रहा है और उक्त भूमि पैतृक भूमि होने से उसकी बिना बटवाडा हुए मु. डाली बाई वसीयत का निष्पादन नहीं कर सकती है क्योकि उक्त भूमि पैतृक भूमि है और पैतृक भूमि पर सभी सह हिस्सेदारो का जन्म से हक हित अधिकार होता है और विधी मे पैतृक भूमि की वसीयत का निष्पादन नही किया जा सकता है और रेस्पोडेण्ट ने डाली बाई के नाम की फर्जी वसीयत का निष्पादन किया और नामान्तरण अपने नाम खुलवा लिया जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नही थी उक्त आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को अभी हाल ही में राजस्व रेकर्ड की नकल निकलवाई तो पता चला कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त भूमि अपीलाण्ट की पैतृक भूमि है और विरासत से उनको व उनके पिताजी को प्राप्त हुई है और उनके पिताजी श्री नाना जी व उनके बड़े पिता किका कुम्हार के मध्य आपसी भाई बटवाडा की लिखत सम्वत 1941 फागुन विद 5 दिनाक 10/02/1985 को निष्पादित कर रखी है जिसमे भी उक्त भूमि नामि खेत होली वाला अपीलाण्टगण के पिता के हिस्से में अकित कर रखा है और उक्त भूमि बाबत् एक वाद ए सी एम कोर्ट में भी चला जिसमे भी दिनांक 19/01/1991 को मौका रिपोर्ट भी बनाई गई जिसमे भी उक्त भूमि पर कब्जा अपीलाण्ट का बता रखा है और इस प्रकार उक्त भूमि पर अपीलाण्ट भाई बटवाडा के अनुसार काबिज होकर के उपयोग उपभोग कर रहे है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर डाली बाई का कोई हक हिस्सा नहीं था और नही उसका उक्त भुमि पर कोई कब्जा ही था तो उसे उक्त भूमि की वसीयत का निष्पादन करने का कोई अधीकार नही था बावजूद इसके उक्त भूमि की वसीयत निष्पादन की है वह प्रथम द्रष्ट्या ही शून्य एव निष्प्रभावी है और शून्य व निष्प्रभावी वसीयत से किसी भी व्यक्ति को कोई हक हित अधिकार उत्पन्न नही होता है बावजूद इसके उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्ट के नाम नामान्तरण तस्तीक करने में अधीनस्थ न्यायालय भारी विधिक, कानूनी एवं वाकियाती भूल की है और कानूनी व वाकियाती भूल कर जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। पटवार हलका द्वारा जानबूझकर के गलत रिपोर्ट की गई और उस पर विश्वास करके तहसील द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई जबकि पटवार हल्का को यह भली भांति विदित है कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा होकर के उनको भाई बटवाडा में प्राप्त हुई है और उक्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा कभी भी नहीं रहा है और नहीं उसका उक्त भूमि पर कब्जा आज ही है और वसीयत की जाँच अगर सही तरीके से की जाती तो यह बात साफ हो जाती की उक्त भूमि पर

जिला कलक्टर
उदयपुर

अपीलाण्ट का कब्जा है रेस्पोडेण्ट संख्या एक का कब्जा नहीं है बावजूद इसके पटवार हल्का के द्वारा झूठी रिपोर्ट की व झूठी रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विश्वास कर के निर्णय पारित करने में भारी विधिक, कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य नहीं है और नही उनके किसी तरह का कोई रिश्तेदार ही है वह उनके परिवार के लिए अजनबी व्यक्ति है वे उसको नहीं पहचानते है और नही उक्त वसीयत के किसी भी गवाहन को ही पहचानते है उक्त सभी व्यक्ति अपीलाण्ट के लिए अजनबी व्यक्ति है और नही उक्त वसीयत के बारे मे अपीलाण्टगण ने कभी भी उसके बारे में सुना ही हैं और नही उक्त वसीयत मृतका डाली बाई के सामाजिक किया कर्म के वक्त ही उसको उजागर ही किया गया था जबकी विधि यह है कि वसीयत को मृतक के बारहवे की क्रिया पूरी होने पर उसका उजागर (प्रकाशित) करना होता है और अगर वसीयत उस समय उजागर होती तो समाज के सभी व्यक्ति को उसके बारे मे जानकारी होती और अपीलाण्टगण को भी जानकारी होती जो नही किया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त वसीयत जाल साजी से निष्पादित की गई है या जालसाजी से निष्पादित कराई गई है और ऐसी वसीयत के आधार पर खुले नामान्तरण को किसी भी समय किसी भी स्तर पर चेलेन्ज किया जा सकता है। उसमे म्याद का बिन्दु लागू नही होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत की बिना जाँच किये ही वसीयत को सही मानकर के नामान्तरण खोल दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय अगर वसीयत की सही जाँच करते और उनको अर्थात अपीलाण्ट को भी सुनते उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देते क्योकि अपीलाण्ट मृतक के विधिक वारीसान थे और उनको भी नोटिस जारी करते उन्हें भी सुनते या उनको भी अपना पक्ष रखने का मोका देते तो अधीनस्थ न्यायालय उक्त नामान्तरण कभी भी नही प्रमाणित करता इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जॉच किये मनमकसूद तरीके से विधि विरूद्ध जाकर के उक्त नामान्तरण तस्दीक करने में भारी विधिक व वाकियाती भूल की है। अपीलाण्ट संख्या दो अन साउण्डनेश माईण्ड (पागल) का है और उसको किसी के भी बारे में कोई पता नही चलता है उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसके निकट रिश्तेदारो मे अपीलाण्ट जो कि रिश्ते में उसकी भुआ लगती है के अलावा और कोई भी व्यक्ति नही रहा है और उसकी सेवा अपीलाण्ट ही करती चली आ रही हैं और उसकी सम्पति की देखभाल भी अपीलाण्ट ही करती चली आ रही हैं इसलिए अपीलाण्ट अपीलाण्ट संख्या दो की प्राकृतिक संरक्षक है इसलिए उसकी ओर से भी उक्त अपील पेश कर रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय तहसीलदार बडगाँव जिला उदयपुर नामान्तरकरण संख्या 394 निर्णय दिनाकं 31/01/2013 होने से उक्त अपील को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार आप श्रीमान् को होने से अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तहसीलदार बडगाँव जिला उदयपुर नामान्तरकरण संख्या 394 निर्णय दिनाकं 31/01/2013 होने से तथा उक्त आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को अभी हाल

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
उदयपुर

ही मे राजस्व रेकर्ड की नकले निकलवाने से जानकारी हुई और जानकारी की दिनाकं से अपील अन्दर अवधि पेश है परन्तु तो भी समय अधिक होने से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अपील मेमो के साथ मय शपथ पत्र के पेश है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय निर्णय निर्णय तहसीलदार बडगांव जिला उदयपुर नामान्तकरण संख्या 394 निर्णय दिनाकं 31/01/2013 को निरस्त फरमाया जाकर के उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाकर के आदेशित किया जावे कि वे मृतका डाली बाई के विधिक वारीसान की जाँच करके नामान्तरण नये सिरे से तस्दीक किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस शामिल पत्रावली किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट के स्वामित्व आधिपत्य एव कब्जे की पैतृक सम्पति मौझा वास पटवार हलका भूताला तह. बडगांव जिला उदयपुर के हाल आराजी नम्बर 1520 रकबा 0–06–10 बीघा भूमि स्थित है जिसमे अपीलाण्टगण का सयुक्त रूप से 1/2,1/2 वॉ हिस्सा होकर के संयुक्त रूप से काबिज हो कर के उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा उक्त भूमि पर अपीलाण्टगण अपने परिवार के साथ तन्हा स्वामी काबिज हो कास्त कर रहा है और उपयोग उपभोग कर रहा हैं परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने एक फर्जी वसीयत अपीलाण्ट की बडी मम्मी के नाम की बनाकर, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नही थी और उसने उक्त फर्जी वसीयत से भूमि का नामान्तरण राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम दर्ज करवाया दिया जबकि उक्त भूमि अपीलाण्ट की पैतृक भूमि होकर के अपीलाण्ट को भाई बटवाडा में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पैतृक भूमि होने से उसकी बिना बटवाडा हुए मु. डाली बाई वसीयत का निष्पादन नहीं कर सकती है क्योकि उक्त भूमि पैतृक भूमि है और पैतृक भूमि पर सभी सह हिस्सेदारो का जन्म से हक हित अधिकार होता है और विधी मे पैतृक भूमि की वसीयत का निष्पादन नही किया जा सकता है और रेस्पोडेण्ट ने डाली बाई के नाम की फर्जी वसीयत का निष्पादन किया और नामान्तरण अपने नाम खुलवा लिया। तहसीलदार ने उन्हे (अपीलाण्ट) को पक्षकार नही बनाया नही उन्हें सुना गया। अतः तहसीलदार बड़गांव द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 394 निर्णय दिनाकं 31/01/2013 को निरस्त कर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर मृतका डाली बाई के विधिक वारिसानों की जांच करके नामान्तरकरण नये सिरे से तस्दीक करने के आदेश फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मांगीलाल की मासीजी श्रीमती डालीबाई ने अपने कोई पुत्र अथवा पुत्री संतान नहीं होने एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1

जिला कलक्टर
उदयपुर

मांगीलाल द्वारा सेवा, सार–सम्भाल करने तथा खाने–पीने आदि की व्यवस्था करने से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मांगीलाल के पक्ष में दिनांक 17.11.1990 को आराजी संख्या 1520 रकबा 1) 1।। हाल रकबा 0.0759 हेक्टेयर भूमि का 1/2 हिस्से की रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित करा अपने अंगुष्ठ निशान लगा दिया तथा दो साक्षीयों ने सही समझ एवं दोनों पक्षकारो की पहचान कर हस्ताक्षर कर दिया इसके पश्चात् डालीबाई की मृत्यु बाद वसीयत के आधार पर नामान्तरण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मांगीलाल के पक्ष में आराजी संख्या 1520 के 1/2 हिस्से का खोल स्वीकृत किया गया तथा जमाबन्दी में आराजी संख्या 1520 में 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मांगीलाल के दर्ज हो गया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज हो उपयोग–उपभोग कर रहा है। अपीलाण्ट ने कहा है कि यह भूमि मौरूसी भूमि थी, इसलिये वसीयत नहीं की जा सकती थी, गलत है। पहले तो मौरूसी भूमि नहीं थी, अगर होती तो भी अपीलाण्ट को कोई हक एवं अधिकार पैदा नहीं होते है, चूंकि डालीबाई ला औलाद फौत हुई, उसके कोई पुत्र–पुत्री संतान नहीं थी। अपीलाण्ट दूर परिवार में है एवं डालीबाई ने अपने जीवनकाल में वसीयत अपने बहन के लडके रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मांगीलाल की सेवा, सार–सम्भाल करने एवं खाने–पीने आदि की व्यवस्था करने से उक्त आराजी के 1/2 हिस्से की वसीयत दिनांक 17.11.1990 को निष्पादित करा दी एवं डालीबाई की मृत्यु बाद वसीयत के आधार पर नामान्तरण रेरपोडेण्ट संख्या 1 मांगीलाल के पक्ष में आराजी संख्या 1520 के 1/2 हिस्से का खोल स्वीकृत किया गया तथा जमाबन्दी में आराजी संख्या 1520 में 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मांगीलाल के दर्ज हो गया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट के विरूद्ध न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बडगांव में बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसके बाद अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की जो बेरून मयाद है एवं 7 वर्ष बाद यह अपील पेश की है, जिसका संतोषप्रद कोई कारण नहीं बताया है. इसलिये अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारीज योग्य है, जहां अपील बेरून मयाद हो, वहा धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को न्यायालय को पहले तय करना चाहिये। आर.आर.टी. 2002(2) 33। इसके अलावा अपीलाण्ट की ओर से न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बडगांव में घोषणा के लिये एक प्रतिवाद पेश कर रखा है, जिसकी प्रति आप न्यायालय में पेश है, जो विचाराधीन है, जिसमें विस्तृत ट्रायल होकर निर्णय किया जायेगा। इसलिये नियमित वाद के चलते उक्त अपील जैसी संक्षिप्त कार्यवाही नहीं चल सकती, न ही इसमें कोई अधिकार तय होते है। अपीलाण्ट ने अपील के जरिये रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में की गई वसीयत को चुनौती दी है, जिसकी वैद्यता तय करने का अधिकार माननीय आप न्यायालय को नहीं है. इसका क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वसीयत के बिन्दु को तय करने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। अपीलाण्ट इस बाबत् माननीय

जिला कलक्टर
उदयपुर

सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारीज फरमाई जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का कथन है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने फर्जी वसीयत से भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज करा लिया है एवं डाली बाई को वसीयत करने का अधिकार ही नही था क्योंकि उक्त भूमि पैतृक थी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमीन पूर्व में नाना और कीका की थी। नाना के स्थान पर उसके 1/2 हिस्से में उसके वारिस (चन्द्ररी बाई व वरदी) आए तथा कीका के स्थान पर उसकी पत्नी डाली बाई। डाली बाई द्वारा तत्पश्चात अपने हिस्से की भूमि की वसीयत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित की गई है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर पारित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो या वसीयत को शून्य घोषित कराया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर पारित किये गये नामान्तरकरण में कोई विधिक त्रुटि नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 394 निर्णय दिनांक 31.01.2013 विधिसम्मत होने से अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बड़गांव को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
**जिला कलक्टर**
**उदयपुर**